

भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइनर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई भाग—4 को परिश्रेत्र सोहागपुर के कक्ष क्रमांक पी.एफ.—273 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 79.939 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:— 22 / 07 / 2021
स्थान:— भोपाल।

Sunil Agrawal
(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई भाग-3 को परिक्षेत्र सोहागपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-225 में विस्थापित/पुनर्वास किए जाने हेतु 100.00 हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 25 / 05 / 2021

स्थान: भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal

168

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अम्यारण्य के वनग्राम सुपलई भाग-2 को परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-179 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 50.00 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:-19.03.2021

स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal


भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलाई भाग-1 को परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-174 में विस्थापित/पुनर्वास किए जाने हेतु 110.00 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:-19.03.2021

स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal